



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद
ISO 9001.2008 & ISO 14001:2004

भवन/भूखण्ड की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में

कृपया भवन/भूखण्ड की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में चरणबद्ध प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1. सादे पेपर सम्बन्धित अधिकारी को सम्बोधित करते हुए जमा धनराशि की समस्त रसीदों की छायाप्रति, संयुक्त रूप से रजिस्ट्री कराने हेतु रू0 10/- के स्टाम्प पेपर नोटाराईज्ड से सत्यापित कराते हुए पति/पत्नी का शपथ पत्र व पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
2. जमा धनराशि की रसीदों का सत्यापन—कैश आउन्टर।
3. सत्यापन उपरान्त भवन का लेखा विवरण तैयार कर लेखा अनुभाग से जाँच।
4. लेखा अनुभाग से जाँच उपरान्त आवंटी के पक्ष में रजिस्ट्री किये जाने की स्वीकृति।
5. रजिस्ट्री की स्वीकृति उपरान्त ई.डब्ल्यू.एस. भवनों पर रू0 500/- का स्टाप तथा अन्य भवनों पर भवन के क्षेत्रफल के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाता है।
6. प्राधिकरण स्टोर से रजिस्ट्री का निर्धारित प्रारूप प्राप्त करके आवंटी के हस्ताक्षर, दो गवाह साक्षीगण के रूप में पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति व फोटो चस्पा तथा स्टाम्प पर आवंटी का फोटो चस्पा कर नोटाराईज्ड से सत्यापित कराकर आवंटी के हाथ का पंजा व अगूंठा लगवाया जाता है।
7. सम्बन्धित भवन का ले-आउट मानचित्र अनुभाग से प्राप्त करना।

उपरोक्त सभी प्रक्रिया में लगभग एक माह का समय लगता है।